

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-
विषय:-

प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 3345/2007 श्री दीनानाथ
वेन्डे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

मं. 3345/2007
का विभाग

पं.कं. 436/2016/58, दि. 06.02.016.
वाणिज्यक उद्योग रोज.विभाग से प्राप्त नोटशीट
आर.नं.334,दि.03.02.16के संलग्न डिप्टी.रजि.मा.उच्च
न्याया. जबलपुर से प्राप्त याचिका।

8/1/c

व्य० टीप का संलग्न याचिका कृपया अवलोकन हो।
2/- विषयांकित प्रकरण वादी द्वारा मा. उच्च न्यायालय
जबलपुर में दायर किया गया है, का संबंध विभाग (एगो) से होने
के कारण वाणिज्यक उद्योग रोजगार विभाग ने इस विभाग को
उपलब्ध कराया है। प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी कं. 3 के आदेश
दि. 26.02.2007 के विरुद्ध वाद दायर किया है।

अतः प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये
जाने हेतु प्रस्ताव एगो से मंगाया जाना उचित होगा।

सहमति की दशा में पत्र स्वच्छ प्रतियों में अनु./
हस्ता. प्रस्तुत है।

13/02/16

अ०अ०
11/11

जाते करें

18-2-16

19-2-16

19.2.16

2/33/16

जावक क्र 494 / 58/उ.सा.प्र.

दिनांक 24.2.2016

पं० 3345/2016/58, दि० 05/3/2016.
वि० 3345/2016/58, दि० 29/02/2016.

8.33/c

प्रमाणित कृपया अवलोकन हो

4- मध्य प्रदेश के विषयांकित प्रकरण में
शासनपक्ष समर्थन करने हेतु मध्य प्रदेश उद्योग,
म. उ. उद्योग एवं उद्योग विकास विभाग जबलपुर
को प्रभारी अधिकारी बनाया जाना उचित है
सिद्धांत है

8.33/c

मिना

2

0

छब्बीस-२ सचिवालय

रफ 8-6/2016/58 .

मंजीरित

विषय: - एकदल कुमंग अलगू. पी. 3345/2007(5) श्री दीनानाथ
बेन्डे विरुद्ध महामहेश शासन व अन्य

का विभाग

सूचना:

कतः प्रभाषी अधिकारी नियुक्ति आदेश स्वच्छ
प्रतियों में अनु/हस्ताप्रस्तुत है

08/03/16.

~~अनु/हस्ता~~
अनु/हस्ता

अनु/हस्ता
08/03/16

500. जीपी कोट

अनु/हस्ता
8-3-16

अनु/हस्ता
8-3-16

609, 610

सातव क./-----/2013/58/उ.अ.प्र.

दिनांक 01/3/16

P.34-35/c

विद्वयंकित प्रकरा में विभागीय समंस्वरक आदेश
दि 09/3/2016 द्वारा प्रभाषी अधिकारी से नियुक्ति की
गई है कतः प्रतिरक्षण आदेश प्राप्त करने हेतु नस्ती
विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

09/3/16.

~~अनु/हस्ता~~
अनु/हस्ता
D.S./14

अनु/हस्ता
10-3-16

अनु/हस्ता
10-3-16

अनु/हस्ता
10/3/16

39

विधि विभाग

मगदली खलखो

उप सचिव

उपस्थिति एवं खाद्य प्रतंस्करण विभाग

प्रतिरक्षा आदेश जारी कर प्रतिनस्ती
पर रखी है।

उद्योगिकी प्रसंस्करण
प्रसंस्करण विभाग

(अमितम मिश्र)
अति-सचिव
विधि विभाग

7704
C.P.

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR**

(2)

Process Id: 208232/2015

WP/3345/2007

माध्या प्रदेश हायकोर्ट
जबलपुर, सत्रांग न्याय क्षेत्रांतर्गत न्यायालय
पंजी क्र. 334/2016/C-11
दिनांक 03/02/2016

ADM. AND I.R.

Fixed for 25.1.2016

WP-DA-6

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Agriculture M.p.govt. Mant.valalbh
Bhawan.bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 26-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 3345/ 2007**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Dinanath Bende** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/3345/2007**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **25.01.2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

Your faithfully

[Signature]

DEPUTY REGISTRAR



[Handwritten signature]
22.1.16
न्यायालय क्षेत्रीय अधिकारी

[Handwritten text in Hindi:]
आज्ञा की प्रतिलिपि न्यायालय क्षेत्रीय अधिकारी को भेजी जा रही है।
विभागाध्यक्ष को सूचित के कारण इसका प्रतिकर देना आवश्यक है।

[Handwritten signature]
23.1.16

[Handwritten signature]
25/1/16

[Handwritten signature]
25/1/16
सदर

[Handwritten signature]
न्यायालय क्षेत्रीय अधिकारी
25/1/16

Saturday 26 December 2015

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय भोपाल
// आदेश //

34

भोपाल, दिनांक 9/03/2016.

क्रमांक एफ 8-6/2016/58 : : सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 3345/2007(एस) श्री दीनानाथ बेण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जबलपुर को प्रभारी अधिकारी के रूप में अधिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नांकित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर किसी विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
2. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वारपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये जिससे कि, शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज/पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट,
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (द) मामले में विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज/पत्रों की प्रतियां, इसमें वाद की तारीख भी वर्णित होना चाहिए।
6. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना मामले और उसके क्रम और प्रगति में नियम किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना।
7. जब कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।

.....2/-

OIC

- 345 -

15/03/2016


11/4/16

11/4/16

(35)

9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
10. जैसे ही अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम तत्काल जानकारी देना होगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जावे।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायता देगा या इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज/दुबी हुई नहीं रह जाये।
12. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकदमे है, तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चित होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ की जाये।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुकदमे है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि, उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुप कुमार मुण्डा)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

९८ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

क्रमांक एफ 8-6/2016/58,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक ९/03/2016.

1. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. मुख्या/विधि/2016/7807, दि.29.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये।
5. शासकीय अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. पर्सनल नस्ती।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

९८ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग